Vardhman Mahaveer Open University, Kota

Admission Guidelines

M.Sc. Botany/Chemistry/Physics/Zoology/Geography

Admission Session July 2021

M.Sc. (Botany/Chemistry/Physics/Zoology/Geography) प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. प्रवेश योग्यता :-

S.No.	Program name	Eligibility Degree/Exam
(i)	M.Sc. Botany	Passed B.Sc. with Botany as a major subject in graduation degree / B.Sc. (Hons.) in Botany / Passed equivalent Bachelor's degree in Science with Botany as a major subject in graduation degree.
(ii)	M.Sc. Chemistry	Passed B.Sc. with Chemistry as a major subject in graduation degree/ B.Sc. (Hons.) in Chemistry / Passed equivalent Bachelor's degree in Science with Chemistry as a major subject in graduation degree.
(iii)	M.Sc. Physics	Passed B.Sc. with Physics as a major subject in graduation degree/ B.Sc. (Hons.) in Physics / Passed equivalent Bachelor's degree in Science with Physics as a major subject in graduation degree
(iv)	M.Sc. Zoology	Passed B.Sc. with Zoology as a major subject in graduation degree/ B.Sc. (Hons.) in Zoology / Passed equivalent Bachelor's degree in Science with Zoology as a major subject in graduation degree
(v)	M.Sc. Geography	Passed B.Sc. with Geography as a major subject in graduation degree/ B.Sc. (Hons.) in Geography / Passed equivalent Bachelor's degree in Science with Geography as a major subject in graduation degree

2. एम.एससी. में प्रवेश के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम त्रिवर्षीय स्नातक, विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्जित की गई होनी चाहिए।

3. UGC के द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश व UGC ODL Regulations एवं समय समय पर उनमे होने वाले संशोधनो के अनुसार M.Sc. Botany/ Chemistry/ Physics/ Zoology/Geography में प्रवेश सत्र जुलाई 2021 से प्रवेश दिया जायेगा।

4. M.Sc. Botany/ Chemistry/ Physics/ Zoology/Geography में प्रवेश सत्र जुलाई 2021से प्रवेश हेतु विषयानुसार प्रवेश परीक्षा के अनुसार वरीयता सूची के आधार पर, राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा तय किये गए नियमों के आधार पर होगा।

5. प्रवेश परीक्षा शुल्क 1000 रूपये है व आवेदन शुल्क अभ्यर्थी को पुनः नहीं लौटाया जायेगा।

6. प्रवेश परीक्षा सभी संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित की जायेगी।

7. प्रवेश परीक्षा 3 घंटे की होगी व अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि तक परीक्षा केन्द्र छोडने अनुमति नहीं होगी।

8. प्रवेश परीक्षा में सम्बन्धित कार्यक्रम के विषय के स्नातक पाठ्यक्रम के अनुसार 100 बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमे से केवल एक विकल्प सही होगा। प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न द्विभाषी (English व हिंदी में) होंगे।

9. प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा व प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र में कुल अंक 100 होंगे। प्रवेश परीक्षा में ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी व न्यूनतम उत्तीर्णांक की बाध्यता नहीं होगी।

10. M.Sc. Geography कार्यक्रम में प्रवेश (M.Sc. Botany/ Chemistry/ Physics/ Zoology/Geography) कार्यक्रमों में प्रवेश की तरह वर्ष में एक बार प्रवेश सत्र जुलाई से ही प्रवेश होगा तथा इसमें छात्र का प्रमोटी प्रवेश भी वर्ष में एक बार केवल जुलाई सत्र में ही होगा व इसमें भी लेटरल एंट्री नहीं होगी। M.Sc. Geography कार्यक्रम में भी प्रायोगिक शिविर व प्रायोगिक परीक्षा भी वर्ष में एक बार होगी व नवंबर माह (Tentative) में प्रायोगिक डिफाल्टर फार्म आवेदन लिया जायेगा।

11. प्रवेश परीक्षा में समान अंक होने पर वरीयता निम्नानुसार होगी-

(i) अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर (अधिक वरीयता) होगी व आयु का निर्धारण दसवी (माध्यमिक परीक्षा) की अंकतालिका/सर्टिफिकेट के आधार पर होगा,

(ii) यदि आयु भी समान है तो कक्षा बारहवी (या उच्च माध्यमिक समकक्ष) के अधिक अंक (प्रतिशतता में) वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा,

(iii) यदि कक्षा बारहवी के अंक भी समान है तो कक्षा दसवी (या माध्यमिक परीक्षा समकक्ष) के अधिक अंक (प्रतिशतता में) वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

Note: (a) VMOU के Preparatory कार्यक्रम (BAP/BSCP/BCP) के छात्रों की Preparatory कार्यक्रम अंकतालिका के आधार पर भी आयु का निर्धारण माना जाएगा।

(b) कुल प्राप्तांकोकी प्रतिशतता वह है जिनसे श्रेणी (या CGPA) का निर्धारण होता है।

12. UGC ODL Regulations एवं उसके amendments के अनुरूप उक्त विषयों के अध्ययन केन्द्रों पर प्रति कार्यक्रम (M.Sc. Botany/ Chemistry/ Physics/ Zoology) प्रति अध्ययन केन्द्र 25 विधार्थी सीट आवंटन के अनुरूप ही प्रवेश दिया जायेगा व M.Sc. Geography कार्यक्रम के लिए प्रति अध्ययन केन्द्र 40 विद्यार्थी सीट आवंटन के अनुरूप ही प्रवेश दिया जायेगा।

13. अभ्यर्थी द्वारा इन कार्यक्रमों में (M.Sc. Botany/ Chemistry/ Physics/ Zoology/ Geography) में से किसी एक कार्यक्रम के लिए ही आवेदन किया जाएगा। सामान्यतया इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक ही दिन एक ही समय पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी अर्थात अभ्यर्थी उपरोक्त किसी एक कार्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में ही उपस्थित हो सकता है।

14. दिए गए निर्दिष्ट समय के भीतर दी गई अंकतालिका एवं अन्य प्रमाण पत्र के आधार पर ही वरीयता का निर्धारण होगा एवं बाद में दिया गया प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

15. आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं करता है।

16. आवेदन पत्र केवल ONLINE विधा से विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

17. प्रवेश वरीयता तथा सीट की उपलब्धतता के आधार पर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा एवं आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमानुसार देय होगा।

18. प्रति कार्यक्रम उपलब्ध अध्ययन केन्द्रों के आधार पर अभ्यर्थी से अध्ययन केन्द्रों के सम्बन्ध में उसकी प्राथमिकता (Preference) ली जायेगी जिसकी सूचना वेबसाईट पर दी जायेगी।

19. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अध्ययन केन्द्र आवंटन का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

20. प्रवेश परीक्षा की वरीयता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश काउंसलिंग आयोजित की जायेगी जिसमें नियमानुसार प्रवेश के लिए निम्न अनिवार्यता होगी-

(i) व्यक्तिशः उपस्थिति

(ii) मूल दस्तावेज सत्यापन

(iii) कार्यक्रम शुल्क जमा करने

उपरोक्त के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

21. प्रवेश के दौरान अथवा उसके उपरान्त अभ्यर्थी के द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज कूटरचित पाए जाने पर प्रवेश निरस्त करने एवं विधिसम्मत कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

22. समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम एवं प्रवेश के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय विद्यार्थी को मान्य होंगे।

23. विश्वविद्यालय को समय समय पर डिफाल्टर परीक्षा शुल्क/प्रायोगिक शुल्क इत्यादि में वृद्धि करने का अधिकार होगा।

24. विश्वविद्यालय में इन कार्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त विद्यार्थी का अध्ययन केन्द्र/ प्रायोगिक केन्द्र परिवर्तन विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

25. यह विश्वविद्यालय के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है कि किसी अध्ययन केन्द्र/ प्रायोगिक केन्द्र पर विद्यार्थियों की कम संख्या अथवा किसी अन्य कारण से उसके आवंटित जगह पर प्रायोगिक नहीं होने पर विद्यार्थी को अन्य प्रायोगिक केन्द्र पर प्रायोगिक कार्य इत्यादि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। विद्यार्थी प्रवेश से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर ले कि इस प्रकार का निर्णय उसे मान्य होगा व उस सम्बन्ध में उसका किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

26. उक्त प्रावधानों के सन्दर्भ में अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय उचित कार्यवाही कर निर्णय /निस्तारण करेगा।

27. कार्यक्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में किसी भी विवाद अथवा दावे की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र स्थानीय कोटा न्यायालय होगा।

28. प्रवेश सम्बन्धी अद्यतित (updated) जानकारी/सूचना के लिए विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाईट को समय समय पर अवश्य देखे।